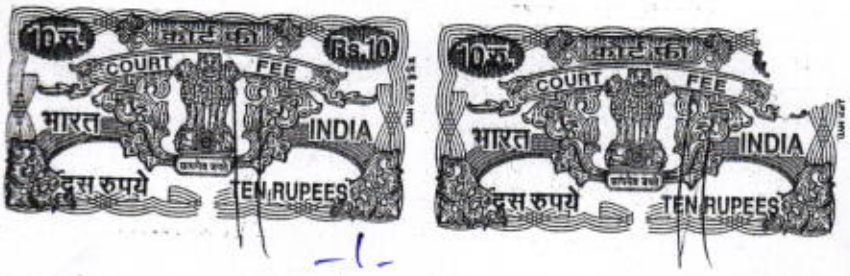

59

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

केशव प्रताप सिंह तनय भानुप्रताप सिंह ठाकुर

निवासी- मोहन निवास पन्ना जिला पन्ना म.प्र. .....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पवई जिला पन्ना म.प्र. के रा.प्र.क्र. 62/अ-68/2013 में आदेशित नोटिस दिनांक 10/07/13 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की पत्नि दिव्यरानी एवं श्रीमति कल्याणी देवी पत्नि राजेन्द्र सींग को वर्ष 1993-94 में आदेश दिनांक 07-04-1994 के तहत यूकेलिप्टिस प्लांटेसन फलदार वृक्ष लगाने की अनुमति वाबत् पट्टा जारी किया गया था किंतु विवादित भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित की थी और शिकायती जॉच में स्थल जॉच प्रतिवेदन उपरांत प्रस्तुत शिकायत निराधार पायी गई थी इसके उपरांत भी आवेदक की पत्नि एवं कल्याणी देवी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने वाबत् नोटिस दिनांक 15-04-13 को प्रस्तुत किया था जिसमें श्रीमान् न्यायालय राजस्व मंडल द्वारा स्थगन आदेश जारी किया था। जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसी आधार पर आवेदक जो कि जिला पन्ना प्रतिष्ठित एवं राजनैतिक व्यक्ति है को परेशान करने की नियत से उसके ससुर के मालकियत की भूमि और उससे लगे हुए शासकीय भाग पर प्लांटेसन किये जाने के आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही किये जाने से यह निगरानी विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

//निगरानी के आधार//

2. यह कि प्रस्तावित कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध विधि अनुकूल न होने से एवं उसके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने से पारित आदेश एवं प्रस्तावित कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... निग. 2759/II/13 ..... जिला .... पन्ना .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-2016	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार पवई जिला पन्ना के प्र.क्र. 62/अ—68/2012—13 में प्रचलित कार्यवाही पारित आदेश दिनांक 10/07/2013 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि आवेदक की पत्नी दिव्यारानी एवं श्रीमती कल्याणी देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह को वर्ष 1993—94 में आदेश दिनांक 07.04.1994 के तहत (यूकेलिप्टिस प्लांटेसन) फलादार वृक्ष लगाने की अनुमति बावत् पट्टा जारी किया गया था किंतु शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण आरंभ किया जाकर विवादित भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित की थी जिसमें शिकायत निराधार पायी गई थी। इस कारण बताओं सूचना पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर 280, 281, 282, 283, व 286 तथा 2402/1 खसरा नंबर पर आवेदक का पुस्तैनी कब्जा होकर फलदार वृक्ष एवं यूकेलिप्टिस के वृक्ष अधिरोपित किए गए है। जो वेजा कब्जा की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण आवेदक के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 3— उनका यह भी तर्क है कि आवेदक की पत्नी एवं कल्याणी देवी को तहसीलदार पन्ना के प्रकरण क्रमांक 4—अ/61 वर्ष 1993—94 आदेश दिनांक 07.04.1994 के तहत फलदार वृक्ष लगाने की अनुज्ञा बावत् पट्टा आदेश जारी किया गया था। जिसके आधार पर पट्टाधारी काबिज चले आ रहे है। पट्टाधारी एवं आवेदक के विरूद्ध शिकायतकर्ता की शिकायत की परिप्रेक्ष्य में संयुक्त कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा	

[क्र. प. उ.

R. 2759-IV/13 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 22.03.13 को जांच प्रतिवेदन मांगे जाने पर न्यायालय तहसीलदार पन्ना द्वारा संपूर्ण जांच करके, कराके स्वयं के द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तथा स्थल पंचनामा उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किया था जिसमें ख.नं. 387, 388, एवं 389 पर पट्टाधारियों को आदेश दिनांक 07.04.1994 के तहत फलदार वृक्ष लगाने की अनुज्ञा के तहत वृक्ष लगे हुए पाते हुए सम्पूर्ण शिकायत तथ्यहीन होने का प्रतिवेदन प्रषित किया था इस कारण पट्टाधारी एवं आवेदक के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस में उल्लेखित भूमि पर उनका पुस्तैनी कब्जा है फलदार एवं यूकेलिप्टिस वृक्ष लगाये गए है जो पर्यावरण की दृष्टि उचित है इस कारवृक्षण उन्होनें धारा--248 के तहत प्रस्तावित बेजाकब्जा की कार्यवाही समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि आवेदक की पत्नी एवं सास को तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 4—अ/61 वर्ष 1993—94 एवं 5—अ/61 वर्ष 1993—94 के तहत फलदार वृक्ष लगाने की अनुज्ञा के तहत पट्टा जारी किया गया है जिसके तहत पट्टाधारी विधिवत रूप से काबिज है इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार पन्ना के प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा दिनांक 18.04.13 से होती है ऐसी स्थिति में तहसीलदार पन्ना एवं पवई द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 248(1) म.प्र.भू.रा.सं. के तहत प्रचलित कार्यवाही विधिसम्मत नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार पन्ना द्वारा प्रचलित कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 10.07.2013 निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (signature) सदस्य	